सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 02.03.2024

जान से मारने की नीयत से युवक को चाकू मारकर घायल करने वाले अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में *थाना भरथना* पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 02.03.2024 को वादी मनीराम पुत्र सोने लाल निवासी खुमानपुरा ढकपुरा थाना भरथना द्वारा थाना भरथना पर तहरीरी सूचना दी गयी कि दिनांक 01.02.2024 को समय करीब 7.00 बजे वादी का पुत्र राजेश कुमार उर्फ राजू गांव नगला मरदान थाना भरथना मे शादी की दावत मे गया था। इसी दौराना किसी बात को लेकर विकास पुत्र मुन्नालाल पोरवाल ने गाली गलौज करते हुये जान से मारने की नीयत से वादी के पुत्र राजेश के सीने मे चाकु मार कर घायल कर दिया जो उसके सीने मे ही घुसा रहा जिसे जिला अस्पताल इटावा मे चिकित्सकों द्वारा निकाला गया। वादी की तहरीर के आधार पर थाना भरथना पर **मु0अ0सं0 54/2024 धारा 307/504 भादवि** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद मे अपराध एवं अपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं हत्या के प्रयास करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे थाना भरथना पुलिस आज दिनांक 02.03.2024 को थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर **अभियुक्त विकास पोरवाल पुत्र मुन्ना लाल पोरवाल** को **बाहरपुरा नहर पुल के पास बने आश्रम के पास से समय 02.10 बजे गिरफ्तार किया गया।**

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

विकास पोरवाल पुत्र मुन्ना लाल पोरवाल निवासी ग्राम ढकपुरा थाना भरथना जनपद इटावा उम्र 26 वर्ष

पंजीकृत अभियोग:-

1. **मु0अ0सं0 54/2024 धारा 307/504 भादवि थाना भरथना जनपद इटावा।**

पुलिस टीम- नि0 श्री देवेन्द्र कुमार सिंह प्रभारी थाना भरथना मय टीम।